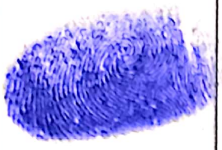

31/01/26 RTS राजेन्द्र देवी	अधिवक्ता अपीलांट व अपीलांट उपरांत अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा कराने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है, अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांटान की अपील जरिये विड्रो खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रेकार्ड हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली